न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 97 / 2021

प्रार्थीनी

1 राजकंवर पत्नी किशनसिंह जाति राजपूत निवासी मुरटाला गाला तहसील व जिला बाडमेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 लुणसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी शिव तहसील शिव 2 मोहनसिंह 3 हनुमानसिंह पिसरान भंवरसिंह 4 तारादेवी पत्नी भंवरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी मुरटाला गाला तहसील व जिला बाडमेर 5 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act.

उपस्थिति :– 1 श्री सुनिल मेराजा, वकील प्रार्थीनी।
2 श्री बांकाराम चौधरी, वकील अप्रार्थी संख्या 01 से 04।

आदेश

दिनांक 23.07.21

संक्षिप्त में प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मुरटाला गाला पटवार मण्डल महाबार तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1967 / 821 रकबा 83.15 बीघा, खसरा संख्या 1944 / 847 रकबा 36.00.03 बीघा व खसरा संख्या 1946 / 821 रकबा 11.10 बीघा भूमि प्रार्थीनी की खातेदारी की आई हुई है, जिस पर प्रार्थीनी का कब्जा काश्त है। प्रार्थीनी के सेढासेढ अप्रार्थी संख्या 01 का खसरा संख्या 1969 / 821 रकबा 01.12 बीघा व खसरा संख्या 1948 / 817 रकबा 0.08 बीघा व अप्रार्थी संख्या 02 से 04 का खेत खसरा संख्या 1968 / 821 रकबा 03.13 बीघा, खसरा संख्या 1947 रकबा 0.07 बीघा भूमि मौजा मुरटाला गाला पटवार मण्डल महाबार तहसील व जिला बाडमेर में आये हुए है। प्रार्थीनी व अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के खेतों की बीच तरमीम हुई परन्तु लठ्ठा ट्रेस में की गई तरमीम व मौके पर मौजूद कब्जा काश्त में भारी अन्तर है, क्योकि अप्रार्थी संख्या 01 से 04 को मौके पर सड़क पर करीब 300 फीट भूमि का बेचान किया गया था, परन्तु राजस्व नक्शे में तरमीम 400 फीट के करीब सड़क मार्ग पर करवाई गई, जो गलत है। प्रार्थीनी ने मौके के अनुसार लठ्ठा ट्रेस में तरमीम दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थीगण उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण ने जवाब इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है, परन्तु लठ्ठा ट्रेस में जो तरमीम की गई है जो अशुद्ध है। मौके पर कब्जा काश्त अनुसार लठ्ठा ट्रेस में तरमीम शुद्ध की जाती है तो उन्हे कोई आपति नही है।

तहसीलदार बाडमेर से मौके की रिपोर्ट अभिलेख के परिप्रेक्ष्य में तलब की गई। तहसीलदार बाडमेर के प्रस्तुत पत्रांक भू.अ. / 21 / 3552 दिनांक 20.07.2021 द्वारा प्रतिवेदन इस आशय का उपलब्ध करवाया कि ग्राम मुरटाला गाला पटवार मण्डल महाबार तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 817 / 3 व 821 रकबा क्रमशः 12.05 व 89.00 बीघा में से तत्कालीन खातेदार श्रीमती ढेलकंवर द्वारा क्रमशः 0.15

बीघा व 05.05 बीघा भूमि का बेचान अप्रार्थीगण को किया गया। उक्त बेचान के पश्चात नामान्तकरण संख्या 222 (ग्राम महाबार पीथल) में अप्रार्थीगण के पृथक-पृथक खसरा संख्या 817/3/1 (1947/817), 821/1 (1968/821), 817/3/2 (1948/817) व 821/2 (1969/821) रकबा क्रमशः 0.07, 03.13, 0.08 व 01.12 बीघा अंकित किये गये। नामान्तकरण की पुष्त पर तरमीम अंकित नही है। वर्तमान लठ्ठा ट्रेस में अंकित तरमीम अनुसार खसरा संख्या 1947/817 व 1948/817 कुल 59 गठ्ठा में रांग भरी हुई है, जिसका कुल नाप 300 फीट है। इसके अलावा खसरा संख्या 1947/817 व 1948/817 का कुल रकबा रेकर्ड अनुसार 0.15 बीघा है, जो कि वर्तमान नक्शे में अंकित तरमीम से अधिक है। क्रेता द्वारा क्रय किये गये चारों बट्टा नम्बरों की 06.00 बीघा भूमि को संयुक्त रूप से चक बनाकर कब्जा किया हुआ है। दो-दो बट्टा नम्बरों के बीच में कटान मार्ग गुजरने से कटान के दोनों तरफ स्थिति जमीन के क्षेत्रफल में जमाबन्दी में अंकित रकबे व नक्शे में अंकित तरमीम एवं मौके पर स्थिति रकबे की स्थिति में अन्तर उत्पन्न हो गया है, जिसे निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों तथा तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका प्रतिवेदन के मद्देनजर मौजा मुरटाला गाला पटवार मण्डल महाबार तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1967/821 रकबा 83.15 बीघा, खसरा संख्या 1944/847 रकबा 36.00.03 बीघा व खसरा संख्या 1946/821 रकबा 11.10 बीघा भूमि व खसरा संख्या 1969/821 रकबा 01.12 बीघा व खसरा संख्या 1948/817 रकबा 0.08 बीघा, खसरा संख्या 1968/821 रकबा 03.13 बीघा, खसरा संख्या 1947 रकबा 0.07 बीघा भूमि की वर्तमान तरमीम अशुद्ध होने से उसे निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा मुरटाला गाला पटवार मण्डल महाबार तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1967/821 रकबा 83.15 बीघा, खसरा संख्या 1944/847 रकबा 36.00.03 बीघा व खसरा संख्या 1946/821 रकबा 11.10 बीघा भूमि व खसरा संख्या 1969/821 रकबा 01.12 बीघा व खसरा संख्या 1948/817 रकबा 0.08 बीघा, खसरा संख्या 1968/821 रकबा 03.13 बीघा, खसरा संख्या 1947/817 रकबा 0.07 बीघा भूमि में वर्तमान तरमीम निरस्त की जाकर पक्षकारान की सहमति से मौके पर कब्जा काश्त अनुसार, अभिलेख के परिप्रेक्ष्य में नये सिरे से तरमीम करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को निर्देशित किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 23.7.21 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर